झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

ई– 1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने)

हिनू, राँची– 834002

आदेश फलक

जिलाः– पूर्वी सिंहभूम   अपील वाद सं0:– 03 दिनांक 05.2.18

विषयः– निर्मल महतो द्वारा मध्याह्न भोजन से संबंधित अपील वाद के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
05.02.2018	**दिनांकः– 05.02.2018** की सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता की ओर से अनुपस्थिति पाई गई एवं द्वितीय पक्ष की ओर से पूर्व नियुक्त शिक्षक **श्री सरोज कुमार सेठ,** एवं विद्यालय के पारा शिक्षक **श्री धनंजय महतो** उपस्थित हुए। **दिनांकः– 24.01.18** के आदेशानुसार पंचायतः– खूँटी, प्रखण्डः– चाण्डिल की मुखिया **श्रीमती सुलोचना टुडू** उपस्थित हुई। 1. पिछले आदेशानुसार जिला अधीक्षक द्वारा प्राथमिक विद्यालय पहाड़धार, चाण्डिल के प्रतिनियुक्त शिक्षक **श्री धनंजय महतो** एवं पूर्व प्रतिनियुक्त शिक्षक **श्री सरोज कुमार सेठ**, प्राथमिक विद्यालय पहाड़धार दोनों को मध्याह्न भोजन संबंधी कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता के आरोप में दी गई लिखित चेतावनी की प्रति प्राप्त हुई। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक सरायकेला–खरसावाँ, द्वारा पिछली सुनवाई के आलोक में जिला के सभी शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, अध्यक्ष, सरायकेला–खरसावाँ एवं संयोजिका सरस्वती वाहिनी संचालन समिति को दिए गए आदेश की प्रति भी आयोग को उपलब्ध कराई गई। 2. प्राथमिक विद्यालय पहाड़धार के पूर्व प्रतिनियुक्त शिक्षक **श्री सरोज कुमार** सेठ एवं वर्त्तमान शिक्षक **श्री धनंजय महतो** द्वारा खाद्य सुरक्षा	

	मुआवजा भत्ता भुगतान के प्रमाण की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। 3. मुखिया खूँटी पंचायत के द्वारा आदेशानुसार पंचायत के विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई की गई। कार्यवाही की प्रति आयोग को उपलब्ध करवाई गई। केस की सुनवाई आज दिनांकः– **05.02.18** को सभी आदेशों के अनुपालन किए जाने एवं उभयपक्ष के संतुष्ट होने के उपरांत इसकी सुनवाई बन्द की जाती है। 9.2.18 (उपेन्द्र नारायण उराँव) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची। (हलधर महतो) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची।

E:\Ziyaul\आदेश.docx16